चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते

हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने .... वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(1).उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी जिला कारागार रगोली व आरक्षी संदीप कुमार यादव द्वारा अ0सं0 2139/20 धारा 25 ए के वारंटी अभियुक्त कोमल सिंह पटेल पुत्र देशराज सिंह पटेल निवासी कसहाई कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह व मुख्य आरक्षी भूपेंद्र सिंह,आरक्षी आरिफ अंसारी थाना मानिकपुर द्वारा अ0सं0 39/15 धारा 147,323,324,325,304,506 भादवि के वारंटी अभियुक्त बउरा कौल पुत्र गजराज निवासी हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. चुन्नू पुत्र दुलारे निवासी हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).उ0नि0 श्री अरविंद्र कुमार सिंह व रिक्रूट आरक्षी वरुण कुमार थाना मारकुंडी के द्वारा अपराध संख्या 12/25 धारा 115(2, 351(2),352 बीएनएस के वारंटी अभियुक्त जीत राम शुक्ला पुत्र छोटा भैया शुक्ला निवासी बड़ी पाटन थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4).उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा व आरक्षी प्रकाश मिश्रा,रिक्रूट आरक्षी सतीश,रिक्रूट आरक्षी हिमांशु थाना मऊ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 202/13 धारा 10 गुंडा अधिनियम के वारंटी अभियुक्त शिवमूरत केवट पुत्र माता बदल निवासी बालापुर मजरा अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामअधार सिंह तथा उनके हमराहीगण द्वारा गाली गलौच,मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोपी अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.2026 को वादिया पूजा देवी पुत्री मंगल प्रसाद निवासी सीएचसी मऊ के पास द्वारा थाना मऊ में तहरीरी सूचना दी गयी कि वह वर्तमान में आशा बहू के पद पर कार्यरत है दिनांक 09.05.2026 को वह ग्राम गडरियन पुरवा में टीकाकरण हेतु लाभार्थियों को बुलाने गयी थी तभी देवीदीन पुत्र कल्लूराम उर्फ शोभानाथ निवासी बेलहा मजरा बरियारी कला थाना मऊ द्वारा गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी गयी एवं आवेदिका के पिता को तमंचे की बट से मारा गया सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0स0 151/26

धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस बनाम देवीदीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 10.05.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना मऊ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 151/26 धारा 115(2),351(3),352 बीएनएस के आरोपी अभियुक्त देवीदीन उपरोक्त को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

बरामदगीः-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री रामअधार सिंह

2.आरक्षी शुभम त्रिपाठी

3.आरक्षी राकेश कुमार